Mr. Speaker: Order, order. Now the Minister of International Trade to make a statement.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं ज़बानी कैसे बतला सकता हूं । माननीय सदस्य अगर मुझे लिखें तो बतला सकता हूं । ज़बानी तो मुझे सब कुछ याद नहीं रहता है । अगर आप मुझे लिख दें तो मैं सब कुछ देख कर बतला सकूंगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ ।

श्री बागड़ी : वह मंजूर हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो गवर्नमेंट को वक्त देना है । आप इस के लिये लिखें ।

श्री बागड़ी: गवर्नमेंट किस तरह से लाएतदाली करती है भ्रष्टाचार के मामले में . .

Mr. Speaker: Order, order. I have gone to the next item of business.

STATEMENT *RE*: REPORTS OF TARIFF COMMISSION, ETC.

The Minister of International Trade (Shri Manubhai Shah): As the hon. House would have observed, I laid 12 reports of the Tariff Commission on different industries during the current Session, of which 7 reports were submitted within the stipulated time of three months. In other five reports which are of reviewing nature, different Ministries required further information and clarification from the Tariff Commission. It is, therefore, obvious that a little more time is required in some of these reports. As the House will see, most of these reports even after further enquiry have been finalised within a month or two of such unavoidable delays. As a matter of fact, the Tariff Commission and Government this year have handled 12 reports on industries as against 5 reports last year.

12.50 hrs.

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 6 BILL, 1963

The Minister of Railways (Shri Dasappa): Sir, I beg to move*:—

"That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services for the purposes of Railway during the financial year ended on the 31st day of March, 1962 in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill to provide for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services for the purposes of Railways during the financial year ended on the 31st day of March, 1962 in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: Now we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:

"That clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

---

*Moved with the recommendation of the President.

Shri Dasappa: Sir, I beg to move:—

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12.51 hrs.

DRUGS AND MAGIC REMEDIES (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) AMENDMENT BILL—*Contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Dr. D. S. Raju on the 27th November 1963, namely:—

"That the Bill to amend the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Out of two hours alotted, 1 hour and 15 minutes have been taken and 45 minutes remain. Shri Yashpal Singh may continue his speech.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, कल हमारे राजू साहब बोल रहे थे कि सन् १९५५ से यह कानून है, और उन्होंने फरमाया कि कुछ रुपए इकट्ठे किए गए जुरमाने की शक्ल में । कुछ रुपये का मतलब यह हुआ कि सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है । जैसे आप अपने ड्राइवर को दो चार आने पैसे दे देते हैं कि इनसे चाय पिओ, ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट खिलवाड़ कर रही है । इतना बड़ा सेक्रेटरिएट है, जिसमें हजारों आदमी काम करते हैं, और हिन्दुस्तान की हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि कुछ रुपए इकट्ठे किए गए । यह कितनी बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है । ऐसा तो कोई बाजार में सब्जी खरीदते वक्त भी नहीं कर सकता । आपके द्वारा मेरा माननीय मिनिस्टर साहब से अनुरोध है कि हमारे सामने ठीक ठीक आदादो शुमार रखें और बतलाएं कि कितना पैसा जुरमाने में इकट्ठा किया गया ।

दूसरे यह कि सात सालों में सिर्फ २२ आदमियों को सजा दी गयी । जिस मसले का ताल्लुक हिन्दुस्तान की हेल्थ के साथ है, ४५ करोड़ आदमियों की जिन्दगी और मौत का जो सवाल है, उसमें सिर्फ २२ आदमियों को सजा दी गयी, और वह भी मामूली सजा दी गयी । आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से मेरा साग्रह निवेदन है कि इस काम के साथ खिलवाड़ न करें, यह बहुत जरूरी काम है ।

12.54 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

दूसरे आयुर्वेद के साथ एलोपैथी का नाम लेना शोभा नहीं देता क्योंकि दोनों थ्योरीज अलग अलग हैं । दोनों स्कूल अलग अलग हैं । आयुर्वेद पर जो एप्लाई करता है वह एलोपैथी पर एप्लाई नहीं करता । जो एलोपैथी के लिए मुनासिब है वह आयुर्वेद के लिए मुनासिब नहीं है । एलोपैथी जरासीम । को मानती है आयुर्वेद जरासीम को नहीं मानता । हम देखते है कि एक गरीब घर में जहां पांच बच्चे हैं, एक बच्चे को प्लेग हो जाता है । गरीबी के कारण वे पांचों बच्चे एक ही चारपाई पर सोते हैं । लेकिन एक तो प्लेग से मरता है बाकी को प्लेग नहीं होता । अगर जरासीम की थ्योरी सही होती तो पांचों बच्चे मर जाते । आयुर्वेद त्रिदोष, को मानता है, जब कि एलोपैथी जरासीम को मानती है और कहती है कि जरासीम से रोग पैदा होता है । एक दूसरे से पोल्स एपार्ट है ।

मैं आपको शिकागो यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण देना चाहता हूं । वहां डा० कैलाग ने, जिसको ४४ साल एलोपैथी करते हो गए थे, एलोपैथी के खोखलेपन को देख कर